अति आवश्यक
समय–सीमा

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश
ई–मेल.complaint.dhs@gmail.com
0755-2527137

कमांक/4/शिका./अना.अनु./फा.0/ 137/ **भोपाल,दिनांक 03 /08/2019,**

प्रति,

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,

विषयः– अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित चिकित्सकों के संबंध में।

--00--

स्वास्थ्य संचालनालय द्वारा अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने वाले चिकित्सकों के विरूद्ध पूर्व में अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई हैं। जिसमें कई चिकित्सकों को सेवा से पृथक किया गया है और कई चिकित्सकों के विरूद्ध विभागीय जांच अधिरोपित की जाकर उन्हें दण्ड दिया गया है।

स्वास्थ्य संचालनालय की जानकारी में यह तथ्य सामने आया है कि अभी भी बहुत से चिकित्सक/विशेषज्ञ अपने कर्तव्य से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित है। एक चिकित्सक की कर्तव्य से अनुपस्थिति न सिर्फ उस क्षेत्र की जनता को उसकी सेवाओं से वंचित करती है बल्कि यह अनुशासनहीनता भी है। संचालनालय ने ऐसे शेष रह गये अनुपस्थित चिकित्सकों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का निर्णय लिया है। कृप्या आपके जिले में अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित चिकित्सक/विशेषज्ञों के विरूद्ध अनाधिकृत अनुपस्थिति की कार्यवाही का प्रस्ताव तैयार कर संबंधित की सेवा विवरण की जानकारी भी संलग्न प्रारूप में **परिशिष्ट "अ" "ब" एवं "स"** पूर्ण रूप से भरकर संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर एवं पदनाम की मुद्रा अंकित कर 03 दिवस के अंदर संचालनालय को उपलब्ध कराते हुये ई–मेल.compliant.dhs@gmail.com पर भी जानकारी भेजे।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

(डॉ0 कैलाश बुन्देला)
अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

पृ.कमांक/4/शिका./अना.अनु./फा.0/ 138/ **भोपाल,दिनांक 03 /08/2019,**

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त क्षेत्रीय संचालक,स्वास्थ्य सेवायें,मध्यप्रदेश की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि आपके अधिनस्थ जिलों की जानकारी विशेष वाहक से भिजवाने के संबंध में निर्देश तत्काल जारी करें।
2. प्रभारी एम.आई.एस.सेल,स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता हैं कि पत्र की प्रति विभागीय बेबसाइट पर अपलोड करें।

(डॉ0 कैलाश बुन्देला)
अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

F-2/ S.MEHRA/A.A./DHS/BHOPAL/M.P

परिशिष्ट "अ"

सरल क्रमांक	जिले का नाम	चिकित्सक/विशेषज्ञ का नाम	पदस्थापना स्थल	कब से अनुपस्थित है
1	2	3	4	5

परिशिष्ट "ब"

कार्यस्थल से बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के अनुपस्थित अधिकारियों/कर्मचारियों की जानकारी

जिले का नाम :–

1. अधिकारी/कर्मचारी का नाम :
2. जन्मतिथि :
3. पिता/पति का नाम :
4. शैक्षणिक योग्यता :
5. वर्तमान पदनाम :
6. चयन का प्रकार (संविदा/आपात/तदर्थ/लो.से.आयोग) :
7. लोक सेवा आयोग से चयन का दिनांक :
8. प्रथम नियुक्ति आदेश का क्रं.एवं दिनांक :
9. सेवा पुस्तिका के अनुसार स्थाई पता :
10. पत्राचार का वर्तमान पता (यदि ज्ञात हो) :
11. **जिले में पदस्थापना का वर्ष**
12. वर्तमान/अंतिम पदस्थापना का वर्ष
13. कर्तव्य स्थल से कब से अनुपस्थित है ? अनुपस्थिति का करण क्या है ?

14. क्या अनुपस्थित होने के पूर्व कोई आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। :

15. क्या शासकीय आवास आवंटित था, वह अब भी उसके अधिपत्य में है, यदि हां तो इसका पूर्ण विवरण व पता :

16. क्या इनका स्थानान्तरण अन्यत्र होने के उपरांत इन्हें भारमुक्त न किया गया था व इसी दौरान वे कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित हो गए। :

17. अनुपस्थिति के उपरांत इनके द्वारा कोई पत्राचार जिला स्तर पर किया गया है, यदि हां तो इसका विवरण। :

18. क्या इनके द्वारा ऐच्छिक सेवानिवृत्ति का आवेदन प्रस्तुत किया गया है ? यदि हां तो कब तथा वर्तमान में इनके प्रकरण की स्थिति क्या है ? :

19. कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत अनुपस्थिति के संबंध में क्या इन्हें कोई कारण बताओ नोटिस दिया गया है ? :

20. क्या उक्त कारण बताओ नोटिस का जबाव उनके द्वारा दिया गया है ? :

21. अनुपस्थिति की अवधि में अधिकारी/कर्मचारी द्वारा कोई अन्य व्यवसाय या अन्य रोजगार स्वीकार/विदेश में सेवा करने की कोई सूचना (यदि हो) तो उसका विवरण :

22. यदि अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही पूर्व से ही चल रही हो तो उसका विवरण :-
   (i) आरोप पत्र कब जारी हुआ है व किसके द्वारा ?
   (ii) जांच अधिकारी कौन हैं।
   (iii) पूर्ण होकर जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया चुका है ?
   (iv) प्रकरण की वर्तमान स्थिति।

23. अन्य कोई विवरण जिसे आप इस संदर्भ में भेजे गये बताना उचित समझें। :

(हस्ताक्षर, पदनाम एवं पदमुद्रा सील)

परिशिष्ट 'स'

ANNEXUR[illegible]

Particulars relating to the disciplinary case refereed to the Madhya Pradesh Public Service Commission with Letter No.

Dated ________

1.	Name of accused Officer	
2	Whether Temporary/Permanent/Contract Service	Temporary
3	Post held substantively if in permanent service (a) Designation (b) Scale of pay (c) Pay drawn (d) Date from which pay shown against (c) drawn	Medical Officer
4	Post held at present in an Officiating capacity. (a) Designation (b) Scale of pay (c) Pay drawn (d) Date from which pay shown against (c) drawn (e) Whether the approval of the M.P. P.S.C. to the Officer's Officiating appointment has been obtained in case such approval was necessarily under rules (Given the No. and date of the Commission's relevant letter).	 — — — — —
5	The next lower post the office would have held but for his appointment to the present post he is holding.	—
6	Post if any in which Quasi-permanent	
7	Increment (a) Date of next increment in post held substantively. (b) Date of next increment in post in which officiating at present.	

8	Date of birth	
9	Date of joining government service	
10	Date when due to retire or date of actual retirement in cases of persons who have already retired.	
10 (A) (B)	(i) Amount of monthly pension admissible. (ii) Amount of monthly pension sanctioned. (i) Amount of gratuity Admissible. (ii) Amount of gratuity sanctioned. (This information is required only in respect of cases of recovery from or with holding of pension/special additional pension.)	----- ----- ----- -----
11	(a) Appointing authority in respect of the post held at present or the authority, which actually appointed the person if that authority is higher. (b) Punishing authority in respect of the post held at present. (c) Appeal-late authority in respect of the post held at present.	
12	Whether an oral inquiry if required under the rules has been held.	----
13	Name and designation of the inquiry officer appointed, if any	-----
14	Whether all the relevant document in original particularly the following have been enclosed with the letter seeking the commission advice. In the case of original Enquirer :- 1. Papers relating to preliminary inquiry, if any 2. Suspension Order, if any, (a) Order revolving suspension, if any 3. Order of the competent authority for joint/common proceedings where issued if two or more Govt. servants are involved in the case. Charge sheet with the statement of imputations of misconduct or misbehavior and other enclosures.	-----

	4. Reply of the accused officer to the charge sheet.	-----
	5. Orders appointed the Inquiry officer.	-----
	6. Orders appointing the presenting officer.	——
	7. Record of the oral inquiry :-	
	a. Daily order sheets	
	b. Correspondence file to the I.O.	
	c. Depositions.	-----
	d. Question put to the accused officer by the inquiry officer.	——
	e. Statement of Defense before the I.O.	-----
	f. Written briefs of	——
	i. the presenting officer	——
	ii. the charged officer	——
	g. Inquiry officer's report.	——
	8. Miscellaneous documents regarding evidence such as exhibits, statement etc. referred to in item (i) to (ix) above.	——
	9. anction of the Governor for institution of departmental proceedings where necessary. This information is required in case of pensioners only.	
	12. Show-cause use notice for withdrawing/with holding the pension/DCRG.	——
	13. Reply of the accused officer to the show-cause notice.	-----
	(B) In the case of appeals :- In addition to the documents specified under (A) above the following :-	-----
	This information is required in case of pensioners only.	-----
	Order of the punishing authority 1. Appeal, if any, of the accused officer. 2. Comments on the appeal by the officer against where order an appeal has been filed.	-----

	(C) In the case of petition. Memorizing or suo moto review In addition to the documents specified and r (A) & (B) above, the following :- 1. Order, if any, on the appeal. 2. Petition or memorial, if any, fronth accused officer. 3. Note indicating the reasons for modifying the existing order of penalty and the precise extent of such modification.	----- -----
	(D) Miscellaneous documents regarding evidence such as exhibits statement referred to item 14(B) and 14(C) and extracts of relevant rules, modes, acts, judgements, manuals, etc referred to in the charge sheet statement of defence, inquriy authority's report, reply to show-cause notice appeal, petition, department's comments.	----
15	Whether a note explaining the factual and procedural points mentioned in the officer's explanations has been enclosed	-----
16	Whether comments on procedural points, if any, raised by the officer in his explanation to charge sheet/reply to show-cause notice/appeal/petition have been given.	----
17	Whether complete and up to date confidential roll of the officer has been enclosed.	-----

(हस्ताक्षर, पदनाम एवं पदमुद्रा सील)